

**No. F.1/88(26)/2021-R.1**  
**UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**  
**RECRUITMENT-1 SECTION**

पद का नाम:	सहायक प्रोफेसर (आयुर्वेद) द्रव्य गुण
विज्ञापन संख्या:	03/2022
भर्ती मामला रिक्ति संख्या	22020305112
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा

आवश्यक योग्यताएं (ईक्यू):

ए.शैक्षिक

(i) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत मान्यता प्राप्त कानून या वैधानिक बोर्ड / संकाय / भारतीय चिकित्सा की जांच करने वाले निकाय या समकक्ष द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद चिकित्सा में डिग्री।

(ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की अनुसूची में शामिल संबंधित विषय/विशेषता में स्नातकोत्तर डिग्री।

प्रभावी आवेदनों की कुल संख्या 152 है। सभी आवेदनों पर विचार किया गया है।

आवश्यक योग्यताएं (ईक्यू):

ए.शैक्षिक

(i) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत मान्यता प्राप्त कानून या वैधानिक बोर्ड / संकाय / भारतीय चिकित्सा की जांच करने वाले निकाय या समकक्ष द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद चिकित्सा में डिग्री।

(ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की अनुसूची में शामिल संबंधित विषय/विशेषता में स्नातकोत्तर डिग्री।

प्रभावी आवेदनों की कुल संख्या 152 है। सभी आवेदनों पर विचार किया गया है।

तौर-तरीके:

(i) ऑनलाइन जांच की गई है, पहले कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी/उसमें किए गए दावों के आधार पर और उसके बाद अपलोड किए गए सहायक दस्तावेजों की जांच के आधार पर जांच की गई है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के संबंध में जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया ऑनलाइन आवेदनों में उनके द्वारा भरी गई जानकारी/उनके द्वारा किए गए दावों के आधार पर योग्य पाए जाते हैं।

(ii) विचाराधीन पद के लिए भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदनों की जांच सख्ती से की गई है।

(iii) आवश्यक प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित होने पर उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए कुल अनुभव को ध्यान में रखा गया है।

- (iv) विज्ञापन में निर्दिष्ट प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव को ध्यान में रखा गया है।
- (v) यदि भर्ती नियमों में निर्दिष्ट प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव नहीं है और पद का विज्ञापन या गणना प्रासंगिक अनुभव भर्ती नियमों में निर्दिष्ट आवश्यक अवधि से कम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को "एलईक्यू-बी" के तहत खारिज कर दिया गया है।
- (vi) जिन उम्मीदवारों के पास प्रासंगिक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उन्हें "एलईक्यू-ए" के रूप में खारिज कर दिया गया है।
- (vii) उम्मीदवार जो अपने कुल दावा किए गए अनुभव के कारण विचार क्षेत्र के अंदर आते हैं, लेकिन बड़े हुए अनुभव से कम जांच के दौरान गणना के अनुसार प्रासंगिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को एलईसी (एनहांसड क्राइटेरिया की कमी) श्रेणी के तहत खारिज कर दिया गया है।
- (viii) उम्मीदवार की पात्रता का पता लगाने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड/उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए, जिन उम्मीदवारों ने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड / प्रस्तुत नहीं किया है, उनके आवेदन को "अपूर्ण आवेदन" के रूप में खारिज कर दिया गया है। कर्तव्यों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए बिना अनुभव प्रमाणपत्रों पर भी विचार नहीं किया गया है और उन्हें 'अपूर्ण' के रूप में खारिज कर दिया गया है। इसी तरह, जो आवेदक प्रासंगिक अनुभव का दावा करते हैं, लेकिन उसके समर्थन में संलग्न ईसी दावा की गई पूरी अवधि के नहीं हैं या किए गए दावे का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें भी 'अपूर्ण' के रूप में खारिज कर दिया जाता है।
- (ix) जिन उम्मीदवारों ने न तो अंक पत्र प्रस्तुत किया है और न ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की डिग्री "अपूर्ण आवेदन" की श्रेणी के तहत खारिज कर दी गई है। यदि उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज सुपाठ्य नहीं हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन को भी "अपूर्ण आवेदन" के रूप में खारिज कर दिया गया है।
- (x) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, पंजीकरण/नामांकन प्रमाण पत्र, त्याग पत्र, राहत आदेश, वेतन प्रमाण पत्र और स्वरोजगार प्रमाण पत्र को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है।
- (xi) अनुभव प्रमाण पत्र आयोग के परिपत्र संख्या एफ.8/84/2010-आर (सी एंड पी) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में होना चाहिए। हालांकि, जहां भी आवेदकों ने निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार किया गया है यदि अनुभव प्रमाण पत्र अन्यथा निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र के विवरण को संतुष्ट करता है।

अनारक्षित श्रेणी के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग मानदंड: EQA (i) +EQA (ii) + पीजी के बाद 06 साल का शिक्षण / नैदानिक अनुभव।

ऑनलाइन भर्ती आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की जांच के आधार पर, निम्नलिखित आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया गया है:

वर्ग	लघु-सूचीबद्ध आवेदक
अनारक्षित	अनुक्रमांक- 30, 35, 36, 48, 53, 72, 88, 108, 120, 128, 139, 143, 145 & 148 =14 उम्मीदवार।

निम्नलिखित आवेदनों को निम्नानुसार खारिज कर दिया गया है:

अस्वीकृति का कारण	अनुक्रमांक
(ii) शेष उम्मीदवारों को कम (बढ़ाए गए) मानदंडों के तहत खारिज कर दिया गया।	अनुक्रमांक. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 149, 150, 151 & 152 = 138 उम्मीदवार।

आवेदन किए गए उम्मीदवारों की सूची अनुलग्नक 'ए' पर है।

(परिमल ठाकुर)  
उप सचिव/परामर्शदाता (आर.1)

## उम्मीदवारों के लिए निर्देश

ऐसे उम्मीदवार जो उक्त पद के लिए लघुसूचिबद्ध किये जाने के प्रयोजनार्थ अपनाये गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों वे मुख्या आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक 10.08.2022 तक [sort1.upsc@nic.in](mailto:sort1.upsc@nic.in) पर प्रस्तुत कर दें। इस तिथि के बाद प्राप्त मेल नहीं खोले जाएंगे। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनो की जाँच की जायेगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/ कारण, अपनाये गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए ,तो ऐसे आवेदनो को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनो की अस्वीकृति बरकरार रहेगा। तत्पश्चात, यदि संवीक्षा सम्बन्धी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किये जायेंगे । इनमें से किसी भी मेल का कोई व्यक्तिगत उत्तर नहीं दिया जाएगा।

उप सचिव/परामर्शदाता  
संघ लोक सेवा आयोग